न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/06/2020 दायर दिनांक 13.08.2020

उनवान

1. हुक्मीचन्द पिता किशना जाति रेगर आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

—प्रार्थी।

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।

—अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 12.07.2022

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के हल्के बैरूनी में प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित है जिसके हाल आराजी नम्बर 1363 रकबा 0.12 हैक्टर, आ0सं0 1368 रकबा 0.11 हैक्टर, आ0सं0 1373 रकबा 0.15 हैक्टर, आ0सं0 1415 रकबा 0.35 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 हैक्टर स्थित है। सिबूत के लिये नकल चालू जमाबन्दी, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचानपत्र, राशनकार्ड, बैक पासबुक की फोटो प्रति सलंग्न है।

यह कि वादगत आराजीयात मे खातेदार काश्तकार की कॉलम मे प्रार्थी का नाम होक्मीचन्द पुत्र किशना जाति बोला राजस्व कर्मचारियो के द्वारा लिखा गया है जबकि प्रार्थी का असल नाम हुक्मीचन्द रेगर पिता किशना रेगर है लेकिन प्रार्थी को हुक्मीचन्द रेगर के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है तथा आधारकार्ड, निर्वाचन विभाग के पहचानपत्र, राशनकार्ड, बैक पासबुक आदि [illegible]न्द पिता किशना रेगर दर्ज है इस कारण से प्रार्थी को कई सा[illegible] है। प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उपलब्ध योजनाओ [illegible] लाभ लेने हेतू राजस्व कर्मचारियो के पास राजस्व रेकार्ड का मिलान करने जाना [illegible]ड़ता है उस समय भारी [illegible]तो का सामना करना पड़ता है। इस कारण से प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड मे होक्मीचन्द पिता किशना बोला के स्थान पर नाम शुद्धी किया जाकर के हुक्मीचन्द पिता किशना रेगर किये जाने का आदेश फरमाया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:15 IST
Reason: SelfAttested

17–07–2019 को नकल लेने से जानकारी हुई इसलिये वाद हेतु दिनांक 17–07–2019 को जारी होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर के प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे होक्मीचन्द पिता किशना बोला सा.दे. खातेदार के स्थान पर शुद्धाशुद्धी करके हुक्मीचन्द पिता किशना रेगर किये जाने का आदेश जारी फरमाया जावे।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया। तहसीलदार कपासन पेरोकार सरकार ने प्रार्थी का नाम हुक्मीचन्द पिता किशना जाति बोला के बजाय हुक्मीचन्द पिता किशना जाति रेगर शुद्धिकरण किया जाना उचित है का अंकन आदेशिका पर कर हस्ताक्षर किये।

प्रार्थी ने साक्ष्य में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत की।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बेरूनी के खाता संख्या 1883 की आराजी संख्या 1363, 1368, 1373, 1415 कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 में दर्ज होक्मीचन्द पिता किशना जाति बोला के बजाय हुक्मीचन्द पिता किशना जाति रेगर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:22:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official